लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत् संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र 2020–2021 के लिये चयन प्रकिया की नियमावली

1. एम.पी.ऑनलाईन को प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से प्राप्त परिणाम संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये द्वारा उपलब्ध कराये गये जिस आधार पर विभागीय नियमावली अनुसार काउन्सलिंग की प्रक्रिया एम.पी.ऑनलाईन द्वारा संपादित की जावेगी।
2. एम.पी.ऑनलाईन द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में उत्तीर्ण केवल उन्हीं आवेदको के नाम सफल आवेदको की सूची में सम्मिलित किये जायेंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंक में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग एवं आशा अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आशा अनुसूचित जाति, आशा अनुसूचित जनजाति, आशा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। उपरोक्त उल्लेखित कटऑफ प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अंक वाले आवेदक काउन्सलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने हेतु पात्र होंगे।
3. काउन्सलिंग हेतु आवेदक द्वारा एमपीऑनलाइन के पोर्टल चार्ज 255+18%(जीएसटी) स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन देय होंगे। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदकों को काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
4. काउन्सलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
   a. आवेदक को रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के लिए health.mponline.gov.in पर एएनएमटीएसटी काउन्सलिंग की लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अपना आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा।
   b. लॉगिन करने पश्चात आवेदक की जानकारी उसकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी उसमे आवेदक अपना संपर्क हेतु जानकारी भरना सुनिश्चित कर सबमिट करे।
   c. तत्पश्चात स्क्रीन पर प्रदर्शित दस्तावेज़ (फोटो आईडी) अपलोड करें। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र की चॉइस फिलिंग कर एमपीऑनलाइन के पोर्टल चार्ज 255+18% जीएसटी का भुगतान करना सुनिश्चित करें। समस्त प्रशिक्षण केंद्रो की चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के पश्चात काउन्सलिंग हेतु ऑनलाइन देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदकों को प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
   d. रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र की आवंटन सूची health.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी।
   e. आवेदक अपने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर बताए गए समय एवं तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित हो ।
   f. यदि आवेदक निर्धारित समय सारणी में दस्तावेज़ सत्यापन हेतु अपने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर किसी भी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ रहते है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रक्रिया से बाहर कर आवंटित सीट को रिक्त मानते हुये अगले चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।
5. संचालनालय स्वास्थ सेवाएँ द्वारा काउन्सलिंग प्रक्रिया मे जिला अशोकनगर ए.एन.एम.टी.सी. की 40 सीट को भी सम्मिलित किया जायेगा, इस प्रकार स्वीकृत सीट (220 सीट) की जगह 220 + 40 (260 सीट) मान्य की जाती है।

pm

6. पीईबी के आवेदन फार्म में दर्ज मोबाईल नम्बर पर काउन्सेलिंग हेतु पात्र आवेदकों को रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रारम्भ तिथि एवं अंतिम तिथि से एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जावेगा।
7. यदि प्रथम चरण मे सीट आवंटन एवं रिपोर्टिंग पश्चात कुछ सीट शेष रह जाती हैं, तो द्वितीय चरण मे शेष रही रिक्त सीट पर (आरक्षण अनुसार) श्रेणीवार आवंटन उनके चॉइस अनुसार किया जावेगा।
8. काउंसलिंग के अंतिम चक्र मे आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की दशा मे ऐसी श्रेणी की रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जाएगा
9. विभागीय नियमानुसार एएनएम (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) का पद मैदानी / फील्ड वर्क आधारित है अतः आवेदक को कार्य मे सक्षम होने का मेडिकल प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
10. समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगें।
11. मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनॉक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो, अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।
12. मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो ,अनुसूचित जनजातियो एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रमॉक 21 , वर्ष 1994 के उपबंधो के आरक्षण नियम के अनुसार सीटो का आवंटन किया जायेगा।
13. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।
14. पुरुष आवेदक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

तालिका-1

ANMTST-2020-21

श्रेणीवार सीटों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सं.क्र.	श्रेणी	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल स्थान
		कुल सीट	कुल सीट	कुल सीट
1	ई डब्लयू एस	19	7	26
2	अनारक्षित	53	17	70
3	अनुसूचित जन जाति	39	13	52
4	अनुसूचित जाति	32	10	42
5	अन्य पिछडा वर्ग	53	17	70
कुल सीट				260

ANMTST-2020-21

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वीकृत सीटों (260सीट) के अनुसार वर्गवार विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	100 %	अनारक्षित (27%)			ई.डब्लु.एस (10%)			अनु.जा. (16%)			अनु. ज. जा. (20%)			अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		
			कुल	75%	25%	10%	75%	25 %	16%	75%	25%	20%	75%	25%	27%	75%	25%
		कुल		खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता	कुल	खुली प्रतियोगिता	आशा कार्यकर्ता
1	बैतूल	30	8	6	2	3	2	1	5	4	1	6	4	2	8	6	2
2	सीहोर	30	8	6	2	3	2	1	5	4	1	6	5	1	8	6	2
3	धार	30	8	6	2	3	2	1	5	4	1	6	4	2	8	6	2
4	बुरहानपुर	20	5	4	1	2	2	-	3	2	1	4	3	1	5	4	1
5	शिवपुरी	30	8	6	2	3	2	1	5	4	1	6	5	1	8	6	2
6	मण्डला	30	8	6	2	3	2	1	5	4	1	6	5	1	8	6	2
7	शहडोल	30	9	7	2	3	2	1	5	4	1	6	4	2	9	7	2
8	पन्ना	20	5	4	1	2	2	-	3	2	1	4	3	1	5	4	1
9	अशोकनगर	40	11	8	3	4	3	1	6	4	2	8	6	2	11	8	3
	कुल	260	70	53	17	26	19	7	42	32	10	52	39	13	70	53	17

ए.एन.एम.टी.एस.टी 2020–21

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष (18 माह + 6 माह इंटर्नशिप)की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश के समय गर्भवती अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु अस्थाई रूप से अयोग्य होंगे।
4. समस्त अभ्यर्थियो को एक वर्ष के प्रशिक्षण उपरान्त चार सप्ताह का वेकेशन प्राप्त होगा।
5. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष 10 दिवस के मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी ।
6. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
7. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुये रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता / अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को दो वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी , परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुये आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता तथा आने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हैं।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कडाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकेगा।
16. उपरोक्त नियमों के साथ प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. प्रशिक्षण उपरांत उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश शासन के अधीन 3 वर्ष तक शासकीय सेवा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु छात्राओं को 10,000/- (दस हजार रूपये) का बॉण्ड प्रवेश के समय संबंधित संस्था मे जमा करना अनिवार्य है।

18. प्रशिक्षण अवधिपूर्ण ना करने की दशा मे छात्राओं को प्राप्त कुल छात्रवृत्ति और संस्था का व्यय भुगतान करना होगा तथा बॉण्ड राशि जप्त की जयेगी।

19. प्रशिक्षणार्थियों को चयन उपरांत तीन माह पश्चात पी.टी.एस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

20. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन होने पर निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।

21. प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर अवकाश पर प्रस्थान के पूर्व अवकाश की अनुमति प्राप्त करना तथा मेडिकल लीव के लिये आवेदन प्रदान करने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22. 10 दिवस या अधिक अवधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जावेगा। तथा अभ्यार्थीयो को प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकेगा।

अपर संचालक (नर्सिंग) द्वारा अनुमोदित ।

13/7/22

उप संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश